


# न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

क्र.सं.	21/16	फर्द अहकाम	
मु.नं.	<del>11/16</del>	तारीख रजु	10-11-16
उपान-	जगन लाल बनाम सोहनपाल बलवार		
उपान-	प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 151 CPC		
<p>प्रार्थी की ओर से श्री राम भरोसी गुप्ता A.M. ने प्रार्थना पत्र 151 CPC पेश किया। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्ट्र कर अप्रार्थीगणों के जीरे सम्मन से तलब कर दिनांक 5-12-16 को पेश है।</p>			<p>3581/91 16-11-16</p>
<p> उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करोली)</p>			
5-12-16	<p>प्रार्थी वकील उप.। अप्रार्थीगण की ओर से श्री सुखचंद शर्मा A.M. ने वकालतनामा पेश किया। P.O. साख करौली पदोरे है बाहे पेश होने जबाब दिनांक 22-12-16 को पेश है।</p>		
9-1-17	<p>वकुलाय उप.। द. 02-1-17 CPC पेश की गत दिनांक 14-2-17 को पेश है।</p>		
14-3-17	<p>वकुलाय उप.। अप्रार्थी नं. के कायम मुकामत का वकालतनामा पेश किया। गतानुसारे द. जबाब पेश करने दि 9-3-17 को पेश है।</p>		
9-3-17	<p>वकुलाय उप.। गतानुसारे दि 6-4-17 को पेश है।</p>		

दिनांक

14.2.18 वकुलाय उप० / गतानुसार दि० 6.3.18 को चेशे हो।

6.3.18

वकुलाय उप० / प्रार्थों उपस्थित / मूल दावा Notice में खारिज कर लिखा है। मूल दावा खारिज हो जाने से इस प्रार्थना पत्र में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है। अतः यह प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल नुमा होकर नम्बाले काम होकर नम्बाले काम होकर दावा पत्रावली के साथ संलग्न रहे।

*खारिज*